

प्रपत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प .....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... ओझा .....  
व भू.अ.नि. ..... चौधरी ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..... रेलमगरा ..... /नायब  
तहसीलदार ..... रेलमगरा ..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..... (अ.स.स.स.) तहसील ..... रेलमगरा ..... व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् ..... 2077 ..... में खाता संख्या ..... 334 ..... में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	अरुणिका	334	एस. बी. बी. जे. शाफ़ राजभावास	एस. बी. आई. शाफ़ राजभावास

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
(उपखण्ड अधिकारी)  
रेलमगरा  
दिनांक :- 03/10/2025

क्रमांक:- राजस्व/2025/118  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..... रेलमगरा ..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. पक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
रेलमगरा

30-09-2025, 15:51